FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलेक्टर (SDO) मुकाम बायतु

उमेदाराम बनाम राणाराम वगैरा

केस्म मुकदमा रा. आवे. 111,128 RLR act नं. 86/2022 सन 2022

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.03.22	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री रूपदान पुरोहित ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 RLR act राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 12.04.22 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु	
12/04/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या-1 से 4 व 6 से 13 के नोटिस तामील शुदा प्राप्त व विप्रार्थी संख्या-5 के नोटिस पर इस नाम का व्यक्ति इस ग्राम में नहीं है लिखा गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर विप्रार्थी संख्या-5 नरेश पुत्र मांगीलाल का नाम गलत संयोजित होने के कारण हटाने बाबत मय संशोधित विवरण पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र को स्वीकार किया जाकर विप्रार्थी संख्या-5 का नाम विलोपित किया जाकर संशोधित विवरण रेकर्ड पर लिया जाता है। विप्रार्थी संख्या-1 से 4 व 6 से 13 बावजूद तामील [illegible]। न्यायालय समक्ष तीन बार आवाज लगाई गई किन्तु	

(हस्ताक्षर)
सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	आवाज 5:45 pm पर लगाई गई विप्रार्थी संख्या-1 से 4 व 6 से 13 स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विप्रार्थी संख्या-1 से 4 व 6 से 13 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 19/04/2022 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु
19/04/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढ़ा सेढ़ आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वंय या अपने अधीनस्थः भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक : 27/04/2022

क्रमांक : वाद / 2022 / 421

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. उमेदाराम पुत्र वीरमाराम, जाति जाट, निवासी नरसाली नाडी, पटवार मण्डल कोलु, तहसील बायतु (बाड़मेर)		1. राणाराम पुत्र मगाराम वगैरा 13, जाति सुथार, निवासी नरसाली नाडी, पटवार मण्डल कोलु, तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या – 86 / 2022

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा –नरसाली नाडी, पटवार मण्डल – कोलु, तहसील – बायतु, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 880 रकबा 8.1224 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500 / – जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

दिनांक : 27/04/2022

क्रमांक : वाद / 2022 / 422-26

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का कोलु को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री उमेदाराम पुत्र वीरमाराम,
4. विप्रार्थी श्री राणाराम पुत्र मगाराम वगैरा 13,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु / गिड़ा / नागाणा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु